

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

मोहनलाल

यनाम

हरिसिंह आदि

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 220/2021

निर्णय दिनांक :- 11/12/2021

वादी की ओर से वकील अमरेंद्र मोरसरा की व प्रतिवादी सं०.1.ता.6. की ओर से वकील विनीत धूमि की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/12/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक 10 MSR के खाता सं. 48/3 की कुल 1.518 है। जहरी के नाम दर्ज है। चक करणपुरा बरानी के खाता सं. 285/129 की कुल 18.653 है। में नानकराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। चक करणपुरा बरानी के खाता सं. 77/370 की कुल 4.983 है। में नानकराम के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज है। चक करणपुरा बरानी के खाता संख्या 76/77 की कुल 5.084 है। में नानकराम के नाम 8473/50840 हिस्सा दर्ज है। चक 8 MSR के खाता सं. 51/52 की कुल 11.385 है। में नानकराम के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज है। चक 10 MSR के खाता सं. 64/45 की कुल 1.012 है। नानकराम के नाम दर्ज है। चक 3 KRP के खाता सं. 173/182 की कुल 4.554 है। में नानकराम के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज है। चक 9 MSR के खाता सं. 47/31 की कुल 2.530 है। नानकराम के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि में जहरी, नानकराम व इन्द्रावती का नाम कलमजब किया वारी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। याग किये गये हिस्से पर पंजीयन शुल्क व स्वाम्य ड्यूटी भका है। राजीनामा को डिक्री का भाग पढा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की

गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़